जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 16 संख्याः 304 प्रभात हिण्डौन सिटी, शनिवार 7 सितम्बर, 2024 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करने का सिलसिला जारी रखा

पुणे में 6 सितम्बर को संघ के एक पुराने वफादार कार्यकर्ता की स्मृति में आयोजित एक समारोह में भी उन्होंने मोदी पर व्यंग कसा

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 अगस्त। आर.एस.एस. सरसंघचालक मोहन भागवत की इस ताजातरीन टिप्पणी का क्या मतलब निकाला जा सकता है कि "इस प्रश्न का निर्णय जनता ही करेगी कि हम ईश्वर बनेंगे अथवा नहीं?" भागवत ने आज पुणे में कहा, "हमें यह घोषणा नहीं करनी चाहिये कि हम भगवान बन गये हैं।" भागवत आर.एस.एस. के स्वयंसेवक शंकर दिनकर काणे तथा 1970 के दशक में किये गये तथा उनके नेक कार्यों की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम स्मरणोत्सव में बोल रहे थे। "भैयाजी" के नाम से प्रसिद्ध काणे ने 1971 में मणिपुर में बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य किया था। वे मणिपुर के बच्चों को महाराष्ट्र भी लाये थे तथा उनके ठहरने आदि की व्यवस्था की थी। भागवत ने भाजपा-शासित मणिपुर के हालात "मुश्किल और चुनौतीपूर्ण" भी बताये।

- भागवत ने कहा, हमें भगवान जैसा सम्मान मिले या नहीं यह निर्णय जनता लेगी, हम अपने आप कैसे ले सकते हैं।
- खाई बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि केरल में संघ के तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के पूर्व प्र.मंत्री मोदी ने भी चौथी बार, प्र.मंत्री बनने की संभावना जतायी।
- भागवत प्र.मंत्री मोदी के इस वक्तव्य को भी सही नहीं मानते कि तीन बार प्र.मंत्री बनना, मोदी की व्यक्तिगत सफलता है और इस सफलता का कारण आर.एस.एस. नहीं।
- भागवत ने इस संदर्भ में पुणे में यह भी कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि कार्यकर्ता को आसमान की बिजली की तरह "चमकना" और कौंधना चाहिये, पर, वे लोग यह भूल जाते हैं कि बिजली के कौंधने के बाद, पहले से भी ज्यादा अंधकार महसूस होता है। अतः कार्यकर्ता को दिये की भांति शांति से जलते रहना चाहिये और अंधकार लगातार कम करना चाहिए।

हाल ही के महीनों में भागवत द्वारा की गई गूढ़ टिप्पणियों के परिप्रेक्ष्य में, उनका पुणे का भाषण भी प्रधानमंत्री मोदी तथा उनके भक्तों को लक्ष्य करके दिया गया प्रतीत होता है।

आर.एस.एस. के साथ बिगड़े हुये संबंधों को सुधारने के उद्देश्य से भाजपा नेतृत्व तथा केन्द्र सरकार ने हाल ही के महीनों में बहुत से कदम उठाये हैं। भाजपा शासित ज्यादातर राज्यों में, अब आर.एस.एस. और भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधित्व वाली समन्वय समितियाँ गठित कर दी गईं हैं। कुछ सप्ताह पहले ही, सरकार ने भागवत की सुरक्षा को गृह मंत्री अमित शाह तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सुरक्षा व्यवस्था के समकक्ष बनाने के लिये, उसका स्तर एवं श्रेणी बढ़ाकर दी है। इससे पूर्व, सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके वह रोक भी हटा दी थी, जो सरकारी कर्मचारियों के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के 5 साल के सभी टैंडरों की जाँच की जाए'

जयपुर, 6 सितंबर। डिपार्टमैंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टैक्नॉलजी (डी.ओ.आई.टी.) के तत्कालीन अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ए.सी.बी.) की ओर से पेश एफ.आर. को विशेष न्यायालय की ओर से मंजूर करने के मामले में ए.सी.बी. के डी.जी. रवि मेहरडा हाईकोर्ट में पेश हुए। अदालत ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा, आप यह क्यों नहीं देखते कि डी.ओ.आई.टी. सबसे अधिक भ्रष्टाचार

- विशेष अदालत ने एक अधिकारी के खिलाफ मामले की सुनवाई में ए.सी.बी. को यह निर्देश दिया तथा जाँच रिपोर्ट पेश करने को कहा।

वाला विभाग है। वहां तो इतना भ्रष्टाचार है कि लोगों के पास घरों में सोना रखने की जगह नहीं बची है, इसलिए वे ऑफिस में सोना रखते हैं। इसके साथ ही अदालत ने मौखिक रूप से ए.सी.बी. को कहा कि वह विभाग के बीते पांच साल के सभी टैंडरों की जांच करे और चार सप्ताह में रिपोर्ट पेश करे। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह आदेश, एफ.आर. स्वीकार करने के ए.सी.बी. कोर्ट के आदेश के खिलाफ पेश, टी.एन.

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'सेबी चेयरमैन माधवी बुच ने 2.16 करोड़ रूपए का भुगतान लिया वोकहार्ट कम्पनी से'

कांग्रेस के अनुसार, यह 2018 से 2024 के बीच की बात है, जब सेबी वोकहार्ट कम्पनी के विरूद्ध जाँच कर रही थी

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 सितम्बर। कांग्रेस पार्टी ने सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच पर आज कुछ नए खुलासे किए और दावा किया कि माधवी को वोकहार्ट लिमिटेड कम्पनी से सम्बंधित एक इकाई से रैंटल इनकम होती थी। यह कम्पनी इनसाइडर ट्रेडिंग व अन्य नियमोल्लंघन के लिए सेबी की जांच के दायरे में थी।

कांग्रेस का कहना है कि यह सेबी के सदस्यों के लिए वर्ष 2008 में बने "कोड ऑन कॉनफ्लिक्ट ऑफ इन्ट्रैस्ट" का स्पष्ट उल्लंघन है।

कांग्रेस के मीडिया एण्ड पब्लिसिटी डिपार्टमैंट प्रमुख पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि 2018 से 2024 के बीच माधवी ने पहले तो सेबी की सदस्य के रुप में बाद में सेबी की अध्यक्ष के रुप में वोकहार्ट लिमिटेड से जुड़ी कम्पनी कैरोल इन्फो सर्विस से 2.16 करोड़ रु. लिए थे।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि माधवी ने यह वित्तीय रिश्ता तब भी कायम रखा जब वे वोकहार्ट की अनियमितताओं की सेबी जांच की

- कांग्रेस ने यह भी कहा कि यह भुगतान, सेबी के हितों के टकराव संबंधी कोड 2008 के विरूद्ध है। यह कोड सेबी सदस्यों पर लागू होता है।
- संसद की पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के अध्यक्ष वेणुगोपाल ने कहा, कमेटी इस बात पर शीघ्र निर्णय लेगी कि सेबी चेयरमैन बुच को उनके खिलाफ लगे आरोपों के बारे में पूछताछ के लिये कब बुलाया जाये।

निगरानी कर रही थी। यह सीधे तौर पर हितों के टकराव का मामला है।

पवन खेड़ा ने कहा कि सेबी अध्यक्ष की नियुक्ति 2 मार्च 2022 को हुई थी कैबिनेट की अपॉइन्टमैंट कमेटी ने की थी।

इस कमेटी के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। क्या उनकी नियुक्ति इस शर्त पर हुई थी कि अगर वे प्रधानमंत्री व उनके करीबियों के इशारे अनुसार चलीं तो अपने पुराने वित्तीय सम्बंध कायम रख सकेगी?"

कांग्रेस ने उन्हें तुरंत बर्खास्त और उनके कृत्यों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि सवाल असल में प्रधानमंत्री से पूछे जाने थे। आखिर और कितने सबूत चाहिए, कि सेबी पारदर्शिता और साख औंधे मुंह गिर पड़ी है।

रमेश ने बताया कि एन.एस.ई. के डेटा के अनुसार तकरीबन दस करोड़ भारतीय हैं जिनके पास यूनिक पैन है और उन्होंने किसी ना किसी तरीके से बाजार में निवेश कर रखा है। क्या उनके साथ न्याय नहीं होना चाहिए, आखिर उन्हें डर किस बात का है।

माधवी के खिलाफ हितो के टकराव के आरोपों पर उठे राजनैतिक विवाद को देखते हुए संसद की पब्लिक एकाउन्ट कमेटी (पी.ए.सी.) ने तय

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस जॉइन की

फोगाट हरियाणा से विधानसभा चुनार लड़ सकती हैं और पूनिया को प्रचार कमेटी में पद दिया जाएगा

-डॉ. सीतश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 सितम्बर। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने शुक्रवार शाम कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली इससे हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी लाभ मिलेगा।

कांग्रेस महासचिव(संगठन) के.सी.वेणुगोपाल और पार्टी की मीडिया सैल के प्रमुख पवन खेड़ा ने उनका स्वागत किया फोगाट विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं और पूनिया को प्रचार कमेटी में पद दिया जा सकता है।

ये दोनों हाल ही में दिल्ली में राहुल गाँधी से मिले थे।

पूनिया और फोगाट उन पहलवानों में शामिल थे, जिन्होंने रैसलिंग फैडरेशन ऑफ इण्डिया के तत्कालीन अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया था और बृजभूषण पर युवा महिला पहलवानों का यौन शोषण करने का आरोप लगाया था।

- पिछले दिनों विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया नई दिल्ली में राहुल गांधी से मिले थे तब से ही उनके कांग्रेस जॉइन करने की चर्चा चल रही थी।
- कांग्रेस को उम्मीद है कि फोगाट व पूनिया के आने से कांग्रेस को न केवल हरियाणा के विधानसभा चुनावों में जाट वोटों का लाभ मिलेगा, बल्कि, राजस्थान, दिल्ली व उत्तर प्रदेश के जाट बहुल क्षेत्रों में भी सकारात्मक संदेश जाएगा।
- ज्ञातव्य है कि कुश्ती फैडरेशन के प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों और उस पर हुए आंदोलन में विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने सक्रिय भूमिका निभाई थी।

दोनों पहलवानों की राहुल गांधी से भेंट के बाद भाजपा की व पीड़ा उस समय सामने आई जब केन्द्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर को यह कहते उद्धृत किया गया, "मुझे लगता है कि विरोध-प्रदर्शन के दौरान हमारे एथलीट एक राजनीतिक भूलभुलैया में फंस गए। उस समय जो शुरू हुआ वो अब अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच रहा है। पहलवानों का विरोध राजनीति से प्रेरित था। ये लोग (पहलवान) कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। इसका मतलब है, कोई सांठ-गांठ है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'असंगठित और निजी क्षेत्रों में महिलाओं को 6 माह की मैटरनिटी लीव दी जाए'

जयपुर, 6 सितंबर। राजस्थान हाई कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार को कहा है कि असंगठित और निजी क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने के लिए निर्देश दिए जाएं। इसके साथ ही अदालत ने रोडवेज़ में कार्यरत याचिकाकर्ता महिला को 90 दिन के बजाए 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने को कहा है। अदालत ने

- राजस्थान हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार व राज्य सरकार को कहा है कि इस संबंध में संबंधित कम्पनियों को निर्देश जारी करें।

कहा कि यदि समय बीतने के कारण 90 दिनों का बढ़ा हुआ अवकाश देना संभव नहीं हो तो उसे इस अवधि का अतिरिक्त वेतन मुआवज़े के तौर पर दिया जाए। जस्टिस अनूप ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश मीनाक्षी चौधरी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मातृत्व लाभ केवल वैधानिक अधिकारों या नियोक्ता व कर्मचारी के बीच समझौते से प्राप्त नहीं होते हैं,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'सरकार चुनी जा चुकी है, चुनाव में क्या हुआ यह कहानी खत्म हो गई है'

सुप्रीम कोर्ट ने एग्ज़िट पोल प्रसारण के लिए मीडिया हाउसेज़ की जाँच के लिए दायर याचिका खारिज करते समय टिप्पणी की

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 सितम्बर। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन मीडिया प्रतिष्ठानों तथा उनके सहयोगियों/कम्पनियों के खिलाफ जाँच कराये जाने की मांग की गई थी, जिन्होंने लोकसभा चुनावों के अन्तिम चरण के समापन के तुरन्त बाद, एग्ज़िट पोल टेलीकास्ट कर दिये थे, तथा इसके फलस्वरूप स्टॉक मार्केट में जबरदस्त उछाल आया था।

एडवोकेट बी.एल.जैन द्वारा दायर की गई इस याचिका को खारिज करते हुए, मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी.पारदीवाला तथा मनोज मिश्रा की बैंच ने कहा कि यह जनहित याचिका साफ तौर पर राजनैतिक हित में लगाई गई याचिका है।

बैंच ने अपने आदेश में कहा, "सरकार चुनी जा चुकी है। अब हमें ये बातें बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए कि

- सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, अब हमें शासन पर ध्यान देना है, चुनाव में क्या हुआ उससे चुनाव आयोग निपटेगा।
- सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता बी.एल. जैन ने याचिका दायर कर मांग की थी कि चुनाव खत्म होने के बाद एग्ज़िट पोल प्रसारित करने वाले टी.वी. चैनलों की जाँच की जाए, क्योंकि, इससे शेयर बाज़ार से उछाल आया था, जो चुनाव नतीजे आने के बाद औंधे मुँह गिर पड़ा था।

चुनावों के दौरान क्या हुआ था, अब हमें देश के शासन-प्रशासन पर आ जाना चाहिए। इस बिन्दु से चुनाव आयोग निपटेगा और चुनाव आयोग को चलाने वाले हम नहीं हैं। यह साफ तौर पर राजनैतिक हित सम्बंधी याचिका है। यह खारिज की जाती है।"

पी.आई.एल. में उन मीडिया प्रतिष्ठानों तथा उनके सहायकों/कम्पनियों की जाँच की माँग की गई, जिन्होंने लोकसभा चुनावों के अन्तिम चरण के समापन के तुरन्त बाद, एग्जिट पोल टेलीकास्ट कर दिये थे। कथित रूप से, इससे निवेशक प्रभावित हुए तथा उन्हें 31 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, क्योंकि 4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद, शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया था।

जून में दायर की गई इस याचिका में कहा गया था, "किसी भी समाचार/बहस/कार्यक्रम के टेलीकास्ट में किसी राजनैतिक दल के पक्ष या विपक्ष में कोई निष्कर्ष/संकेत दिया ही नहीं जाना चाहिए।

दुर्भाग्य की बात है कि अनियन्त्रित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक व्यावसायिक उद्योग के रूप में काम कर रहा है तथा इसे एक राजनैतिक दल द्वारा किसी अन्य राजनैतिक दल के खिलाफ काम में लिया जाता है।

याचिकाकर्ता ने कहा था कि भविष्यवाणी/एग्ज़िटपोल "रिप्रजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, 1951 की धारा 126ए तथा भारत के चुनाव आयोग द्वारा 2 अप्रैल, 2024 को जारी की गई गाइडलाइनों का पूर्णरूपेण उल्लंघन है।

भारत ने अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया

नई दिल्ली, 4 सितंबर। भारत ने अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करके चीन-पाकिस्तान की टेंशन और बढ़ा दी है। जिस तरह से चीन के साथ भारत का सीमा विवाद चल रहा ऐसे में ये परीक्षण बेहद अहम माना जा रहा है। ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण ने सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया। अग्नि-4 की मारक क्षमता जबरदस्त है।

- इस मिसाइल की रेंज में पूरा पाकिस्तान शामिल है। इसकी मारक क्षमता 4 हजार किलोमीटर से भी अधिक है।

इसकी 4000 किलोमीटर है।

रक्षा मंत्रालय की ओर से बताया गया कि 6 सितंबर यानी शुक्रवार को ओडिशा के चांदीपुर स्थित परीक्षण रेंज से इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि -4 का सफल प्रक्षेपण किया गया। इस लॉन्चिंग में अग्नि-4 मिसाइल ने सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड के तत्वावधान में किया गया। अग्नि-4 का ये परीक्षण करीब दो साल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'टायर फटने से दुर्घटना "एक्ट ऑफ गॉड" नहीं'

जयपुर, 6 सितंबर। जयपुर जिले की मोटर एक्सिडैंट क्लेम ट्रिब्युनल (एम.ए.सी.टी.) मामलों की विशेष अदालत ने कहा कि बस का टायर फटने और डिवाइडर से बस टकराने पर हुई दुर्घटना को "एक्ट ऑफ गॉड" नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि बस की दुर्घटना चालक द्वारा तेज गति

- मोटर एक्सीडैंट क्लेम ट्रिब्युनल मामले की विशेष अदालत ने कहा कि बस का टायर फटने और डिवाइडर से टकराने का कारण, ड्राइवर द्वारा तेज गति से बस चलाना था। इसलिए बीमा कंपनी आश्रितों को 1.65 करोड़ रूपए का हर्जाना दे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आर.जे.डी. की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया

आर.जे.डी. ने बिहार में आरक्षण वृद्धि रद्द करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 सितम्बर। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल (आर.जे.डी.) की याचिका पर शुक्रवार को बिहार सरकार तथा अन्य को नोटिस जारी कर दिये। आर.जे.डी. की याचिका में पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यधिक पिछड़े वर्गों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दिये गये आरक्षण को बढ़ाने के राज्य सरकार के संशोधनों को अमान्य कर दिया गया था।

बिहार सरकार तथा अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए, मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला तथा मनोज मिश्रा की बैंच ने आर.जे.डी. की याचिका को उसी प्रकार की एक अन्य मामले के साथ जोड़ दिया।

पटना उच्च न्यायालय ने अपने 20 जून, 2024 के आदेश के द्वारा "बिहार रिज़र्वेशन ऑफ वैकेन्सीज़ इन पोस्ट्स एण्ड सर्विसेज़ (फॉर शिड्यूल्ड ट्राइब्स एण्ड अदर बैकवर्ड

- बिहार विधानसभा ने वर्ष 2023 में एक संशोधन कर नौकरियों व उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति व ओ.बी.सी. के आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था।
- पर, पटना हाइकोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया था।
- बिहार सरकार ने भी पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

क्लासेज़) अमैन्डमेन्ट एक्ट, 2023 तथा बिहार रिज़र्वेशन (इन एड्मीशन टु एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशंस) अमैंन्मेंट एक्ट, 2023 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 तथा 16 का उल्लंघन मानते हुए, रद्द कर दिया था।

बिहार सरकार ने भी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

बिहार विधानसभा ने 2023 में इन दोनों अधिनियमों में संशोधन किया था तथा नौकरियों और उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में एस.सी./एस.टी. तथा ओ.बी.सी. कोटा आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था।

आरक्षण में की गई यह वृद्धि उस जातिगत सर्वे के नतीजे पर आधारित थी, जो राज्य में कराया गया था। अनुसूचित जातियों का आरक्षण 20 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण में 2 प्रतिशत वृद्धि, अत्यधिक पिछड़े वर्गों को आरक्षण में 25 प्रतिशत तथा पिछड़े वर्ग का आरक्षण 18 प्रतिशत कर दिया था।

जिस समय आरक्षण बढ़ाने के लिये इन कानूनों में संशोधन किया गया था, उस समय नीतीश कुमार का जनता दल-यूनाइटेड उस महागठबन्धन का हिस्सा था, जिसमें आर.जे.डी. तथा कांग्रेस शामिल थे।